

## मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या १०१/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. १०४/२०१७)  
श्रीमती मीरा आदि बनाम सतानंद

११.११.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती मीरा व अभिषेक द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार श्रीमती मीरा देवी के नाम दिनांक २८.०५.२०१९ को ₹ १,६७,५० तीन वर्ष के लिए एवं अभिषेक के नाम बालिग होने तक १,००,००० जमा कराने के आदेश पारित हुए थे। अभिषेक बालिग हो गया है, उसकी जन्म तिथि ०९.०२.२००२ है और वह १८ वर्ष ६ माह करीब का हो गया है जबकि उसकी वास्तविक उम्र करीब २० साल है और वह बेरोजगार है। इसलिये प्रार्थिया नकद पर आपे परिवार के गुजारे के लिये खरीद कर किराये पर चलाना चाहती है, जिसकी देखभाल अभिषेक करेगा। अतः प्रार्थीगण ने अपनी-अपनी सिंडीकेट बैंक में जमा उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि, उन्हें नकद दिलाये जाने की याचना की है। प्रार्थीगण ने समर्थन में अपने-अपने शपथपत्र, आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ, व उक्त एफ.डी.आर. की छाया प्रतियाँ व ८सी१ आपे से संबंधित क्वटेशन दाखिल किये गये हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. १०४/२०१७ व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उक्त मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा २२.०५.२०१९ को निर्णीत किया गया है, जिसके अनुपालन में प्रार्थिया मीरा के नाम उक्त धनराशि तीन वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में जमा कराई गयी है तथा प्रार्थी अभिषेक के नाम उक्त धनराशि उसके वयस्क होने तक के लिये जमा कराई गई है। ७सी१ आधार कार्ड अभिषेक में उसकी जन्म तिथि ०९.०२.२००२ अंकित है तथा प्रस्तुत याचिका दिनांक ०२.०३.२०१७ को दायर की गयी है जिसमें याची सं. २ के रूप में अभिषेक की उम्र १७ वर्ष अंकित है। इसके अतिरिक्त समर्थन में अभिषेक का शपथपत्र ४सी१ भी दाखिल है। इस प्रकार उक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभिषेक वर्तमान में वयस्क हो चुका है। अतः वह उक्त एफ.डी. की धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। जहाँ तक प्रार्थिया श्रीमती मीरा को उक्त धनराशि को प्राप्त करने का प्रश्न है, प्रार्थिया ने अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि उसका पुत्र अभिषेक वयस्क हो गया है तथा वह बेरोजगार है तथा परिवार के गुजारे के लिये वह आपे क्रय करना चाहती है। प्रार्थिया ने कथनों के समर्थन में ८सी१ आपे खरीदने से संबंधित क्वटेशन पत्रावली पर दाखिल किया गया है, जिसमें ₹ ३,१५,००० वर्णित आपे के क्रय की अनुमानित धनराशि अंकित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया ने स्वयं का शपथपत्र ५सी१ भी दाखिल किया है, जिनसे उसके कथनों का समर्थन होता है। इस प्रकार प्रार्थिया की उक्त धनराशि की आवश्यकता वास्तविक प्रतीत होती है और उसे क्षतिपूर्ति की उक्त सावधि जमा सम्पूर्ण धनराशि को समय से पूर्व दिलाया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थी श्रीमती मीरा उक्त एफ.डी.आर.में अंकित धनराशि ₹ १,६७,७५० मय ब्याज व प्रार्थी अभिषेक उक्त एफ.डी.आर. की धनराशि मुब. ₹ १,००,००० मय अर्जित ब्याज, जो कि सिंडीकेट बैंक, गोविन्द चौराहा, झाँसी द्वारा जारी की गयी हैं, की धनराशियाँ मय अर्जित ब्याज, उनके बैंक खातों में जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट स्थानान्तरित किये जाने योग्य है।

### आदेश

सिंडीकेट बैंक/कैनरा बैंक, शाखा गोविन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. १०४/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. १०१/२०२० श्रीमती मीरा आदि बनाम सतानंद) के प्रकरण में प्रार्थीगण के नाम जमा एफ.डी.आर. की धनराशियों को प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited amount	Mode of Disburse ment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Mrs. Meera Devi	167750	+Interest Accrued	Elect. Mode RTGS/NEFT	3243319451	Central Bank of India Barwasagar, Jhansi	CBIN02 80179
Abhishek	100000	+Interest Accrued	Elect.Mode RTGS/NEFT	1321001500 1394462	PNB Barwasagar, Jhansi	PUNB0 132100
Total	267750					

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकरण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)  
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।